

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी- श्री उत्तमसिंह रोखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 363/2018

दायर दिनांक 16.11.2018



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

वादी	प्रतिवादीगण
1. मोटाराम दत्तक पुत्र मोतीराम जाति जाट निवासी कोलिया तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. गोपालीदेवी पत्नी स्व० पेमाराम 2. सुवाराम पुत्र पेमाराम 3. ओमप्रकाश पुत्र पेमाराम 4. देवीलाल पुत्र पेमाराम 5. मेमाराम पुत्र पेमाराम 6. भंवरलाल पुत्र घासीराम 7. बलवीर पुत्र तोलाराम 8. सीता पुत्री तोलाराम 9. कैलाश पुत्री तोलाराम 10. कमला पुत्री तोलाराम 11. श्रीमती मनादेवी बेवा तोलाराम 12. मोहनराम पुत्र घासीराम 13. मंगीदेवी बेवा घासीराम 14. परसाराम पुत्र मोबाराम 15. जगदीश पुत्र मोबाराम 16. रणजीत पुत्र मोबाराम शमस्त जाति जाट निवासीगण कोलिया तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 17. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।
	बनाम

दावा बाबत

घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,  
अन्तर्गत धारा- 53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री अजीतसिंह, वकील, वादी।
2. श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, वकील, प्रतिवादीगण की ओर से

--: निर्णय :-

दिनांक 22.11.2018

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादीगण सं० 01 ता 13 स्व० टीकुराम के वंशज है। वाके सरहद नोजला की ढाणी के खसरा सं० 743 रकबा 08 बीघा 10 दिस्वा, वाके सरहद कोलिया के खसरा सं० 306 रकबा 11 बीघा 08 बिस्वा, खसरा सं०


सहायक कलक्टर  
डीडवाना (नागौर)

220 एकड़ 02 बिन्दा, खसरा सं: 225 एकड़ 14 बीघा 18 बिन्दा, खसरा सं: 231 एकड़ 06 बिन्दा, खसरा सं: 276 एकड़ 14 बिन्दा, खसरा सं: 281 एकड़ 10 बीघा 12 बिन्दा, खसरा सं: 285 एकड़ 13 बीघा 18 बिन्दा, खसरा सं: 288 एकड़ 12 बीघा 12 बिन्दा कुल एकड़ 77 बीघा 04 बिन्दा एवं चारों तरफर कोसिया के खसरा सं: 280 एकड़ 07 बीघा 04 बिन्दा, खसरा सं: 285 एकड़ 11 बिन्दा कुल एकड़ 14 बीघा 13 बिन्दा में से 1/2 बिन्दा चारों व इतिहासी सं: 01 ता 13 के अधिन सम्पत्ति का सीमा करीब खसरा व खसरीदारी का है। जिसके अधिन खसरा सं: चारों तरफर खसरा की सीमा 237 एकड़ 1,3800 हेक्टेयर तथा तरफर कोसिया के खसरा सं: 342 एकड़ 1,8500 हेक्टेयर, खसरा सं: 284 एकड़ 1,0200 हेक्टेयर, खसरा सं: 273 एकड़ 2,4200 हेक्टेयर, खसरा सं: 276 एकड़ 0,0400 हेक्टेयर, खसरा सं: 442 एकड़ 2,2700 हेक्टेयर, खसरा सं: 280 एकड़ 1,7200 हेक्टेयर, खसरा सं: 458 एकड़ 2,2300 हेक्टेयर, खसरा सं: 482 एकड़ 1,8600 हेक्टेयर कुल एकड़ 12,8500 हेक्टेयर है तथा चारों तरफर कोसिया के खसरा सं: 808 एकड़ 1,1200 हेक्टेयर, खसरा सं: 810 एकड़ 1,1700 हेक्टेयर, खसरा सं: 870 एकड़ 0,1300 हेक्टेयर कुल एकड़ 2,4200 हेक्टेयर है।

उचित खसरा में चारों तरफर का 1/2 बिन्दा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। खसरा सं: 280, 281, 285 की मुनि में चारों तरफर का नाम संख्या 2058-2061 तक की खसरी में 1/2 बिन्दा में दर्ज है। तथा राजस्व कर्मचारियों की मालती व सहजन से वर्तमान खसरी में चारों तरफर का नाम दर्ज नहीं हुआ इसलिए चारों तरफर खसरीदारी का दावा करना लाजमी जगह है तथा उपरोक्त खसरा का विविध बंटवारा नहीं होने के कारण चारों तरफर का नाम प्रस्तुत किया है।

उक्त चारों तरफर के चारों तरफर कोसिया के खसरा सं: 808 एकड़ 1,1200 हेक्टेयर, खसरा सं: 810 एकड़ 1,1700 हेक्टेयर, खसरा सं: 870 एकड़ 0,1300 हेक्टेयर, कुल एकड़ 2,4200 हेक्टेयर में से 1/2 बिन्दा चारों तरफर के अधिन किया जाने तथा विविध बंटवारा कर चारों तरफर का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाये।

चारों तरफर का नाम दर्ज कर दिया गया। इतिहासी संख्या 01 ता 06 को अधिन सम्पत्ति तथा किया गया। चारों तरफर इतिहासी में राजीनामा देस किया। राजीनामा की प्रमाण पत्रावली को

  
 राजीनामा (राजीर)

राजस्व-वाद, संख्या 383/2018  
दायर दिनोंक 16.11.2018, निर्णय दिनोंक 22.11.2018  
मोटाराम बनाम गोपाली देवी, वगैरा।

पढकर सुनाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना स्वीकार किया गया। वादी की पहचान वकील श्री अजीतसिंह ने व प्रतिवादीगण की पहचान वकील श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने की। हरब बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया।


मुताबिक राजीनामा, वाके सरहद कोलिया के खसरा सं० 442 रकबा 2.2700 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा सं० 452 रकबा 1.7200 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा सं० 462 रकबा 1.9600 हैक्टेयर, सम्पूर्ण तथा वाके सरहद कोलिया के खसरा सं० 610 रकबा 1.1700 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा सं० 609 रकबा 1.1200 हैक्टेयर, में से 0.0400 हैक्टेयर दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा कुल रकबा 7.1600 हैक्टेयर वादी मोटाराम के बंट में रहेगा।

वाके सरहद कोलिया के खसरा सं० 459 रकबा 2.2300 हैक्टेयर में से 0.6900 हैक्टेयर पूर्वी हिस्सा, वाके सरहद नोजला की ढाणी के खसरा सं० 237 रकबा 1.3800 हैक्टेयर, सम्पूर्ण कुल रकबा 2.0700 हैक्टेयर प्रतिवादी गोपाली देवी, सुवाराम, ओमप्रकाश, देवीलाल, नेमाराम तथा मंगादेवी के बंट में रहेगा। खसरा सं० 237 में बकाया खातेदारान का नाम हटाया जावें।

वाके सरहद कोलिया के खसरा सं० 342 रकबा 1.8500 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा सं० 364 रकबा 0.0200 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खसरा सं० 376 रकबा 0.0400 हैक्टेयर सम्पूर्ण कुल रकबा 1.9100 हैक्टेयर प्रतिवादी भंवरलाल व मंगीदेवी के बंट में रहेगी।

वाके सरहद कोलिया के खसरा सं० 373 रकबा 2.4200 हैक्टेयर में से 0.5300 हैक्टेयर पश्चिमी हिस्सा, खसरा सं० 459 रकबा 2.2300 हैक्टेयर में से 1.5400 हैक्टेयर पश्चिमी हिस्सा कुल रकबा 2.0700 हैक्टेयर प्रतिवादी बलवीर, मेनादेवी व मंगीदेवी के बंट में रहेगी।

वाके सरहद कोलिया के खसरा सं० 373 रकबा 2.4200 हैक्टेयर में से 1.8900 हैक्टेयर पूर्वी हिस्सा प्रतिवादी मोहनराम व मंगीदेवी के बंट में रहेगा। वाके सरहद कोलिया के खसरा सं० 609 रकबा 1.1200 हैक्टेयर में से 1.0800 हैक्टेयर व खसरा सं० 670 रकबा 0.1300 हैक्टेयर सम्पूर्ण कुल रकबा 1.2100 हैक्टेयर प्रतिवादी परसाराम, जगदीश, रणजीत के कब्जे काश्त व बंट में रहेगा। उपरोक्त बंटवारा राजीनामा के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार रहेगा।

  
**सहायक कलेक्टर**  
**डीडवाना (नागौर)**

राजस्व-वाद, संख्या 363/2018  
 दाखल दिनांक 16.11.2018, निर्णय दिनांक 22.11.2018  
 मोटाराम बनाम गोपाली देवी, वगैरा।

वादी व प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेश कर दिया व राजीनामा और नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित मुताबिक, पक्षकारान वाद को डिक्री करवाना चाहते है। वाद का किसी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में वाद वादी डिक्री सादिर किया जाना न्यायालय को उचित प्रतीत होता है।

अतः, वाद विवेचन, वाद वादी, डिक्री सादिर किया जाता है।


### आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाके सरहद कोलिया के खसरा सं० 442 रकबा 2.2700 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा सं० 452 रकबा 1.7200 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा सं० 462 रकबा 1.9600 हैक्टेयर, सम्पूर्ण तथा वाके सरहद कोलिया के खसरा सं० 610 रकबा 1.1700 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा सं० 609 रकबा 1.1200 हैक्टेयर, में से 0.0400 हैक्टेयर दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा कुल रकबा 7.1600 हैक्टेयर वादी मोटाराम के घोषित किया जाता है।

वाके सरहद कोलिया के खसरा सं० 459 रकबा 2.2300 हैक्टेयर में से 0.6900 हैक्टेयर पूर्वी हिस्सा, वाके सरहद नोजला की ढाणी के खसरा सं० 237 रकबा 1.3800 हैक्टेयर सम्पूर्ण कुल रकबा 2.0700 हैक्टेयर प्रतिवादी सं० 01 गोपाली देवी, प्रतिवादी सं० 02 सुवाराम, प्रतिवादी सं० 03 ओमप्रकाश, प्रतिवादी सं० 04 देवीलाल, प्रतिवादी सं० 05 नेमाराम तथा प्रतिवादी सं० 13 मंगीदेवी के घोषित की जाती है तथा खसरा सं० 237 में बकाया खातेदारान का नाम हटाया जाता है।

वाके सरहद कोलिया के खसरा सं० 342 रकबा 1.8500 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा सं० 364 रकबा 0.0200 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खसरा सं० 376 रकबा 0.0400 हैक्टेयर सम्पूर्ण कुल रकबा 1.9100 हैक्टेयर प्रतिवादी सं० 06 भंवरलाल व प्रतिवादी सं० 13 मंगीदेवी के घोषित की जाती है।


वाके सरहद कोलिया के खसरा सं० 373 रकबा 2.4200 हैक्टेयर में से 0.5300 हैक्टेयर पश्चिमी हिस्सा, खसरा सं० 459 रकबा 2.2300 हैक्टेयर में से 1.5400 हैक्टेयर पश्चिमी हिस्सा कुल रकबा 2.0700

  
 सहायक कलेक्टर  
 डी.ब.नामा (नागौर)


राजस्व-वाद, संख्या 363/2018  
दायर दिनांक 16.11.2018, निर्णय दिनांक 22.11.2018  
मोटाराम बनाम गोपाली देवी, वगैरा।

हैक्टेयर प्रतिवादी सं० 07 बलवीर, प्रतिवादी सं० 11 मेनादेवी व प्रतिवादी सं० 13 मंगीदेवी के घोषित की जाती है।

वाके सरहद कोलिया के खसरा सं० 373 रकबा 2.4200 हैक्टेयर में से 1.8900 हैक्टेयर पूर्वी हिस्सा प्रतिवादी मोहनराम व मंगीदेवी के बंट घोषित किया जाता है। वाके सरहद कोलिया के खसरा सं० 609 रकबा 1.1200 हैक्टेयर में से 1.0800 हैक्टेयर व खसरा सं० 670 रकबा 0.1300 हैक्टेयर सम्पूर्ण कुल रकबा 1.2100 हैक्टेयर प्रतिवादी सं० 14 परसाराम, प्रतिवादी सं० 15 जगदीश, प्रतिवादी सं० 16 रणजीत के घोषित किया जाता है। उपरोक्तानुसार पक्षकारान को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उपरोक्त बंटवारा राजीनामा के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसूची "अ" के अनुसार रहेगा। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

  
(उत्तमसिंह शेखावत)  
सहायक R.A. सेक्टर  
सहायक कलक्टर  
डीडवाना (निगार)

निर्णय आज दिनांक 22.11.2018 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

  
(उत्तमसिंह शेखावत)  
सहायक R.A. सेक्टर  
सहायक कलक्टर  
डीडवाना (निगार)

डिक्री व मुकदमा में इब्तदाई  
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)  
अज अदालत:- सहायक कलेक्टर, डीडवाना  
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 363/2018

दायर दिनांक 16.11.2018

वादी	प्रतिवादीगण
1. मोटाराम दत्तक पुत्र मोतीराम जाति जाट निवासी कोलिया तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. गोपालीदेवी पत्नी स्व० पेमाराम 2. सुवाराम पुत्र पेमाराम 3. ओमप्रकाश पुत्र पेमाराम 4. देवीलाल पुत्र पेमाराम 5. नेमाराम पुत्र पेमाराम 6. भंवरलाल पुत्र घासीराम 7. बलवीर पुत्र तोलाराम 8. सीता पुत्री तोलाराम 9. कैलाश पुत्री तोलाराम 10. कमला पुत्री तोलाराम 11. श्रीमती मेनादेवी बेवा तोलाराम 12. मोहनराम पुत्र घासीराम 13. मंगीदेवी बेवा घासीराम 14. परसाराम पुत्र मोबाराम 15. जगदीश पुत्र मोबाराम 16. रणजीत पुत्र मोबाराम समस्त जाति जाट निवासीगण कोलिया तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 17. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।


दावा बाबत

घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,  
अन्तर्गत धारा- 53, 88, 188 R.T.Act.

दिनांक 22.11.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुददई श्री अजीत सिंह, वकील, वादी व श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, वकील, प्रतिवादीगण की ओर से मददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वाके सरहद कोलिया के खसरा सं० 442 रकबा 2.2700 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा सं० 452 रकबा 1.7200 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा सं० 462 रकबा 1.9600 हैक्टेयर, सम्पूर्ण तथा वाके सरहद कोलिया के खसरा सं० 610 रकबा 1.1700 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा सं० 609 रकबा 1.1200 हैक्टेयर, में से 0.0400 हैक्टेयर दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा कुल रकबा 7.1600 हैक्टेयर वादी मोटाराम के घोषित किया जाता है।

वाके सरहद कोलिया के खसरा सं० 459 रकबा 2.2300 हैक्टेयर में से 0.6900 हैक्टेयर पूर्वी हिस्सा, वाके सरहद नोजला की ढाणी के खसरा सं० 237

  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)

रकबा 1.3800 हैक्टेयर सम्पूर्ण कुल रकबा 2.0700 हैक्टेयर प्रतिवादी सं० 01 गोपाली देवी, प्रतिवादी सं० 02 सुवाराम, प्रतिवादी सं० 03 ओमप्रकाश, प्रतिवादी सं० 04 देवीलाल, प्रतिवादी सं० 05 नेमाराम तथा प्रतिवादी सं० 13 मंगीदेवी के घोषित की जाती है तथा खसरा सं० 237 में बकाया खातेदारान का नाम हटाया जाता है।

वाके सरहद कोलिया के खसरा सं० 342 रकबा 1.8500 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा सं० 364 रकबा 0.0200 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खसरा सं० 376 रकबा 0.0400 हैक्टेयर सम्पूर्ण कुल रकबा 1.9100 हैक्टेयर प्रतिवादी सं० 06 भंवरलाल व प्रतिवादी सं० 13 मंगीदेवी के घोषित की जाती है।

वाके सरहद कोलिया के खसरा सं० 373 रकबा 2.4200 हैक्टेयर में से 0.5300 हैक्टेयर पश्चिमी हिस्सा, खसरा सं० 459 रकबा 2.2300 हैक्टेयर में से 1.5400 हैक्टेयर पश्चिमी हिस्सा कुल रकबा 2.0700 हैक्टेयर प्रतिवादी सं० 07 बलवीर, प्रतिवादी सं० 11 मेनादेवी व प्रतिवादी सं० 13 मंगीदेवी के घोषित की जाती है।

वाके सरहद कोलिया के खसरा सं० 373 रकबा 2.4200 हैक्टेयर में से 1.8900 हैक्टेयर पूर्वी हिस्सा प्रतिवादी मोहनराम व मंगीदेवी के बंट घोषित किया जाता है। वाके सरहद कोलिया के खसरा सं० 609 रकबा 1.1200 हैक्टेयर में से 1.0800 हैक्टेयर व खसरा सं० 670 रकबा 0.1300 हैक्टेयर सम्पूर्ण कुल रकबा 1.2100 हैक्टेयर प्रतिवादी सं० 14 परसाराम, प्रतिवादी सं० 15 जगदीश, प्रतिवादी सं० 16 रणजीत के घोषित किया जाता है। उपरोक्तानुसार पक्षकारान को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उपरोक्त बंटवारा राजीनामा के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसूची "अ" के अनुसार रहेगा। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....  
 .....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 22.11.2018 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर  
 सहायक कलेक्टर  
 डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प वकालतनामा			वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महनताना वकील	-		महनताना वकील		
खर्चा गवाहान	-		खर्चा गवाहान		
फिस कमिश्नर			फिस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर  
 डीडवाना (नागौर)